भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं. ईसीआई/पीएन/283/2025 दिनांक: 07.08.2025

प्रेस नोट
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025
निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधाराओं (4) और (1) के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग ने 07.08.2025 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच और नाम वापसी की तिथियों के साथ-साथ (यदि आवश्यक हो) मतदान की तिथि को निर्दिष्ट किया गया है। यह अधिसूचना आज भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है और राज्य राजपत्रों में उनकी आधिकारिक भाषाओं में पुनः प्रकाशित की जा रही है।

2. उक्त अधिसूचना और आयोग के निर्देशों के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवम राज्यसभा के महासचिव ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 3 के तहत, उक्त नियमों के साथ संलग्न फॉर्म 1 में भारत के राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है, जिसे राज्य राजपत्रों में उनकी आधिकारिक भाषाओं में भी पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

3. सार्वजनिक सूचना में निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं:

i. नामांकन पत्र जमा करने का स्थान: रिटर्निंग ऑफिसर का कार्यालय, कक्ष संख्या आरएस-28, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।
ii. नामांकन पत्र जमा करने की तिथि और समय: 11:00 पूर्वाह्न से 3:00 अपराह्न तक, किसी भी कार्यदिवस (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर), अंतिम तिथि **21.08.2025** तक।
iii. जमानत राशि: रु 15,000, जो या तो नकद रूप में रिटर्निंग ऑफिसर के पास या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सरकारी कोषागार में जमा करनी होगी।
iv. नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज:
- उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति जिसमें अभ्यर्थी पंजीकृत है।
- जमानत राशि की रसीद।

v. नामांकन पत्र प्राप्त करने का स्थान: उपरोक्त कार्यालय से उपरोक्त समय पर प्राप्त किया जा सकता है।
vi. नामांकन पत्रों की जांच का स्थान: कक्ष संख्या एफ-100, संगोष्ठी-2, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।
vii. नामांकन पत्रों की जांच की तिथि और समय: **22.08.2025** को सुबह 11:00 बजे।

4. यदि चुनाव लड़ा जाता है, तो मतदान 09.09.2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच, कक्ष संख्या एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में होगा, जैसा कि आयोग की 07.08.2025 की अधिसूचना में उल्लिखित है।